

प्रेषक,

सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

निदेशक, (एम0पी0- I),
भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय,
जल संसाधन, नदी विकास
एवं गंगा संरक्षण विभाग,
गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना ।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक : 22 मार्च, 2021

विषय: केन्द्रपुरोनिधानित बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम (सी0एस0एस0-एफ0एम0पी0) मद के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य की निर्माणाधीन UK-13, 14, 15, 16 & UK-19 योजनाओं पर अवशेष केन्द्रांश अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-T-11014/1/2020-MP-II, दिनांक 11.02.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से केन्द्रपुरोनिधानित बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम (सी0एस0एस0-एफ0एम0पी0) मद के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य की निर्माणाधीन UK-13, 14, 15, 16 & UK-19 योजनाओं पर अवशेष केन्द्रांश अवमुक्त करने के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी है।

2- अतः निर्माणाधीन योजनाओं UK-13, 14, 15, 16 & UK-19 पर अवशेष केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव समस्त संलग्नकों सहित इस आशय से प्रेषित करने के मुझे यह निदेश हुये है कि कृपया अवशेष केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त कराये जाने हेतु अपने स्तर से आयुक्त (बाढ़ प्रबन्धन), जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, 11 वां ब्लॉक, 8वीं मंजिल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली को पत्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न-उपयोगिता प्रमाण-पत्र (मूलरूप में)

भवदीय,

(नितेश कुमार झा)
सचिव।

संख्या:- 543 (1) / 11(02) / 2021-03(08) / 2008 टी0सी0-1, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-91/प्र0अ0/बजट/बी0-1/सी0एस0एस0-एफ0एम0पी0, दिनांक 17.03.2021 के क्रम में।
2. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।